

## अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली  
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

### उनवान

1. श्री भंवरलाल पिता उदयलाल भील निवासी ढुंढिया तहसील मावली।

.....वादी

### बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता उदा भील निवासी भीलाखेडा तहसील मावली।
2. श्रीमती रामी पत्नी उदा भील निवासी भीलाखेडा तहसील मावली।
3. श्री बद्रीलाल पिता उदा भील निवासी भीलाखेडा तहसील मावली।
4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी भमरू भील निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 35 / 23 ( वाद )

जीसीएमएस नम्बर : 2023 / 70

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा भीलाखेडा पटवार हल्का ढून्ढीया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 11 पर दर्ज आराजीयात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1.	बद्रीलाल पुत्र उदा भील हिस्सा 1/3 सा.देह खातेदार, मांगीलाल पुत्र उदा भील हिस्सा 1/3 सा.देह खातेदार, रामीबाई पत्नी उदा भील हिस्सा 1/3 सा.देह खातेदार	697 / 1	0.3373	बंजड़	1.00
	योग :-	किता-1	0.3373	-	1.00
2.	भंवरलाल पुत्र उदा भील हिस्सा 1/2 निवासी ढुंढिया खातेदार, लक्ष्मीबाई पत्नी भमरू भील हिस्सा 1/2 निवासी ढुंढिया खातेदार	697 / 2	0.6744	बंजड़	2.37
	योग :-	किता-1	0.6744	-	2.37

अंतिम पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली अंतिम रूप से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास में सुनाया गया।

( रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (FT) मावली  
जिला उदयपुर

